



क्रमांक-F-2/SCR/FR/2025/ 505

दिनांक - e-Signed Date

सम्भागीय आयुक्त (समस्त),
जिला कलेक्टर (समस्त),
राजस्थान ।

विषय:-राज्य में आयोजित हो रहे फार्मर रजिस्ट्री शिविर कार्यक्रमों के पुनर्निर्धारण के सम्बन्ध में।

प्रसंग:-राजस्व विभाग के पत्र क्रमांक-F-1/FR/2025/349 दिनांक 21/01/2025 एवं कार्यक्रम पुनर्निर्धारण पत्र क्रमांक F-2/SCR/FR/2025/471 दिनांक 08/02/2025 के क्रम में।

महोदया/महोदय,

राज्य में दिनांक 05 फरवरी 2025 से फार्मर रजिस्ट्री के शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। प्रासंगिक पत्रों द्वारा फरवरी के प्रथम, द्वितीय एवं आगामी सप्ताह में समस्त जिलों की प्रत्येक तहसील में ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर शिविर आयोजन हेतु कार्यक्रम निर्धारित करने बाबत निर्देशित किया गया था, जिसके क्रम में आप द्वारा कैंप चार्ट तैयार किया जाकर कैंप प्लानिंग पोर्टल पर अपलोड/अद्यतन किया गया है।

राजस्थान फार्मर रजिस्ट्री एप्लीकेशन से संबंधी अधिकतर तकनीकी समस्याओं का समाधान कर लिया गया है। अतः पूर्व निर्देश (F-2/SCR/FR/2025/471 दिनांक 08/02/2025) के क्रम में **फरवरी के तृतीय सप्ताह** (दिनांक 17 फरवरी से 22 फरवरी) में प्रत्येक जिले की प्रत्येक तहसील में एक-एक शिविर प्रतिदिन आयोजित किए जायेंगे, अर्थात् सोमवार से बुधवार को एक ग्राम पंचायत में शिविर होगा एवं गुरुवार से शनिवार को दूसरी ग्राम पंचायत में शिविर लगाया जावेगा। इस प्रकार इस सप्ताह में प्रति तहसील 2 शिविर आयोजित होंगे।

इसी प्रकार फरवरी के चतुर्थ सप्ताह (दिनांक 24 फरवरी से 01 मार्च) में प्रत्येक जिले की प्रत्येक तहसील में तीन-तीन शिविर प्रतिदिन आयोजित किए जायेंगे, अर्थात् सोमवार से बुधवार को तीन ग्राम पंचायतों में शिविर होंगे एवं गुरुवार से शनिवार को दूसरी तीन ग्राम पंचायतों में शिविर लगाया जावें। इस प्रकार इस सप्ताह में प्रति तहसील 6 शिविर आयोजित होंगे। इन शिविरों के आयोजन के दौरान यदि अन्य तकनीकी समस्याएं आती हैं तो उन्हें राज्य स्तरीय फार्मर रजिस्ट्री सेल (EMAIL- OSD.REV.FR@RAJASTHAN.GOV.IN) या हेल्पडेस्क (0141-2370242) पर पृथक से अवगत कराया जावें, जिससे समुचित समाधान किया जा सके।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार अपने जिले के शिविर कार्यक्रमों का पुनर्निर्धारण कर, शिविर आयोजन करावें।

भवदीय

(दिनेश कुमार)
प्रमुख शासन सचिव
राजस्व विभाग, जयपुर





क्रमांक- समसंख्यक / 506-530

दिनांक - e-Signed Date

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

1. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, मा. मुख्यमंत्री, राजस्थान ।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान ।
3. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, मंत्री/राज्य मंत्रीगण, राजस्थान ।
4. विशेषाधिकारी, मुख्य सचिव, राजस्थान ।
5. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर ।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, शासन सचिवालय जयपुर ।
7. समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव, राजस्थान ।
8. निजी सचिव, चेयरमैन, राजस्व मण्डल अजमेर ।
9. समस्त विभागध्यक्ष, राजस्थान ।
10. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर ।
11. निजी सचिव, शासन सचिव, पंजायतीराज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर ।
12. निजी सचिव, शासन सचिव, कृषि विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर ।
13. निजी सचिव, शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर ।
14. निजी सचिव, आयुक्त, कृषि विभाग, शासन सचिवालय जयपुर ।
15. निजी सचिव, आयुक्त भू-प्रबंध विभाग, जयपुर ।
16. निजी सचिव, आयुक्त, DOIT & C राजस्थान जयपुर ।
17. निजी सचिव, सम्भागीय आयुक्त समस्त, राजस्थान ।
18. निजी सचिव, निबन्धक राजस्व मण्डल, अजमेर, राजस्थान ।
19. विशेषाधिकारी, फार्मर रजिस्ट्री, राजस्व विभाग, जयपुर ।
20. सहायक नोडल अधिकारी फार्मर रजिस्ट्री, उप निबंधक राजस्व मण्डल, अजमेर ।
21. भू-प्रबंध अधिकारी समस्त, राजस्थान ।
22. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त, राजस्थान ।
23. शैलेश चतुर्वेदी (एसीपी) भू-प्रबंध विभाग जयपुर को भेज कर लेख है कि उपरोक्तानुसार कैम्प स्थगन संबंधी मैसेज राज्य के कैम्प प्लानिंग पोर्टल (RJFRC) पर उपयुक्त स्थानों पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें, ताकि आमजन को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।
24. श्री तरुण परिहार, ई एण्ड वाय ।
25. रक्षित पत्रावली ।

(डॉ. अरुण गर्ग)
आयुक्त -भू. प्रबन्ध विभाग
राजस्थान जयपुर